हुक्म अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

शिवराजसिह बनाम सदुर्शना

किस्म मुकदमा ,53 ,188, आर.टी.एक्ट. नम्बर 1060 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख
3.11.2020	वादी की ओर से वाद पत्र जरिये अभिभाषक पेश हुआ जिस पर रिपोर्ट सीगेदार हो चुकी है। वाद प.त्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रड सम्मन/सम्मन से तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.12.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22/12/20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण तलबी हेतु पत्रावली दि० 2.2.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
2/2/21	वकील वादी के [illegible] उपस्थित प्रतिवादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करे पत्रावली दि 23/2/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/2/21	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु आवश्यक खर्चा व रजिस्टर सम्मन पेश करे पत्रावली दिनांक 5/3/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
5/3/21	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री रामकुमार वकील अधिवक्ता उपस्थित वकालतनामा पेश कर वादी के वाद का [illegible] पर [illegible] पेश किया पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 6/6/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
6/6/21	वकील वादी [illegible] उपस्थित प्रतिवादी [illegible] जवाब पेश किया प्रकरण में आपसी सहमति होने के [illegible] की आवश्यकता नहीं पत्रावली कार्यवाही हेतु दिनांक 7/6/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
7.6.21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। पत्रावली दि० 13.8.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

13/8/21 वकील वादी उपस्थित साक्ष्यवादी हेतु समय चाहा पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु दि 15/9/21 को पेश हो

15/9/21 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी. ओ. साहब
[illegible]
पत्रावली दि० 10/11/21 को पेश हो।

ावली प्रशासन गांवों के संग अभियान
र 2021 कैम्प ... भूकरका 11-12-21
ो पेश हो।

11/12/21 ली प्रशासन गांवों के संग अभियान
2021 कैम्प ... भूकरका ...
पेश हुई ... राजीनामा पेश नहीं
उभय पक्ष उपस्थित नहीं ...
ी दिनांक 28-3-22 को पेश हो।

28/3/22 वकील वादी उपस्थित साक्ष्यवादी हेतु समय चाहा पूर्व में काफी समय दिया जा चुका आगामी पेशी पर आवश्यक तौर से साक्ष्य पेश करें पत्रावली दि 18/5/22 को पेश हो

18/5/22 पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब
अभियान में पधारे हैं
पत्रावली दि० 16/6/22 को पेश हो।

16/6/22 पक्षकारान कथित उपस्थित साक्ष्य वादी में शपथपत्र पेश किया जिरह नहीं करने पर उभयपक्षों को सुना गया पत्रावली बाबत निर्णय दिनांक 24/6/22 को पेश हो।

24/6/22 पक्षकारान कथित उपस्थित वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1060 सन 2022

अनवान :–

1. शिवराजसिह पुत्र श्री राव अमरसिह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सुदर्शना कुमारी पुत्री श्री राव अमरसिह पत्नी श्री ठाकर जयेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमनगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री सन्तलाल तिवाडी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 24/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बीकेके के खाता संख्या 95/95 की कुल 12.1440हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज/दादा श्री राव कानसर एवं राव अमरसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वजो के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पत्र वारिसान के नाम से वाद भूमि दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गयी।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बहन है के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज हुई थी उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में काफी अर्सा पूर्व ही त्याग कर दिया था वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बहन है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि जो वर्तमान मे उसके नाम से दर्ज है वह पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि उनके नाम दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बीकेके के खाता संख्या 95/95 की कुल 12.1440हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज/दादा श्री राव कानसर एवं राव अमरसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बहन है के नाम विरास्तन से भूमि दर्ज हुई थी उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में काफी अर्सा पूर्व ही त्याग कर दिया था वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बीकेके के खाता संख्या 95/95 की कुल 12.1440हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी की बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उसकी बहन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो वादी के पूर्वजो के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है एव प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों से भी साबित है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बीकेके के खाता संख्या 95/95 की कुल 12.1440हैव भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार

Scanned with CamScanner

काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शिवराजसिह पुत्र श्री राव अमरसिह जाति राजपूत साकिन भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सुदर्शना कुमारी पुत्री श्री राव अमरसिह पत्नी श्री ठाकर जयेन्द्रसिह जाति राजपूत निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमनगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1060 सन 2022 निर्णय दिनांक– 24/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है रोही मौजा चक 3 बीकेके के खाता संख्या 95/95 की कुल 12.1440हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner